Uttar Pradesh Shasan
Sansthagat Vitta, Kar Evam Nibandhan Anubhag -2

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. KA.NI.-1014/XI-9(52)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(31)-2017 dated July 21, 2017.

NOTIFICATION

NO.- KA.NI.-1014/XI-9(52)/17- U.P.GST Rules-2017-Order-(31)-2017

Lucknow : Dated : July 21, 2017

In exercise of the powers under Rule 138 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 framed under the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act No. 1 of 2017) the Governor is pleased to specify the following documents that a person incharge of a conveyance carrying any consignment of goods shall carry while the goods are in movement or in transit storage in Uttar Pradesh :-

(1) In case of transportation of taxable goods valuing Rs. 5000 or more from a place outside Uttar Pradesh into the State ,the enclosed Form e-way bill 01 shall be carried with the goods during the transportation or transit storage of the goods:

Provided that if a person transports goods valuing less than Rs. 50,000 ,for his personal use as a personal luggage by a personal vehicle or by any public passenger transport vehicle with his personal identification documents , the form e-way bill -01 shall not be required .

(2) In case of transportation of taxable goods valuing Rs. 1 lakh or more mentioned as follows within Uttar Pradesh or from a place within the State to a place outside the State, the enclosed Form e-way bill 02 shall be carried with the goods during the transportation or transit storage of the goods :

(a) Mentha Oil, Menthol and D. M. O.,

(b) Supari

(c) Iron and Steel,

(d) All types of edible oils and Vanaspathi ghee.

(3) In case of transportation of taxable goods by e-commerce operators or by their authorized transporters , courier agents or agents for delivery to a person within Uttar Pradesh , the enclosed Form e-way bill-03 shall be carried with such goods during the transportation of goods or transit storage within the State.

(4) In case of transportation of taxable goods valuing Rs. 5000 or more from a place outside Uttar Pradesh to a place outside the State , the form TDF-01 shall be carried with such goods during the transportation of goods or their transit storage within the State and on the exit of goods from the State , the information shall be provided in FormTDF-02 .

(5) The forms mentioned in clauses (1), (2), (3) and (4) above shall be downloaded by the procedure prescribed by the Commissioner State Tax/Commercial Tax from the website of Commercial Tax Department – http://comtax.up.nic.in .

This notification shall be effective from such date as the Commissioner State Tax / Commercial Tax may mention in the circular prescribing the procedure of downloading the said forms.

By Order,

(Rajendra Kumar Tiwari)
Apar Mukhya Sachiv

पत्र संख्या –स0 द0 जी0एस0टी0/माल परिवहन /2017–18/ 1017 / वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर,उत्तर प्रदेश
(सचलदल–अनुभाग)
लखनऊ :: दिनाँक ::: 22 जुलाई 2017

समस्त जोनल एडीशन कमिश्नर वाणिज्यकर उ0 प्र0/
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0 शा0) वाणिज्यकर उ0 प्र0/
ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0 अन0 शा0)/(कार्यपालक)

शासकीय विज्ञप्ति संख्या KA-NI 1014/XI-9(52)/17-U.P.GST Rules-2107-order(31)-2017दिनांक 21.07.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश में माल के परिवहन के दौरान या अभिवहन भण्डारण में माल ले जाने पर अलग–अलग स्थितियों में माल के साथ–साथ ई–वे बिल 01, ई–वे बिल 02, ई–वे बिल 03 एवं टी0डी0एफ0 01 रखा जाना विहित किया गया है तथा यह प्रपत्र विभागीय वेबसाइट http://comtax.up.nic.in से डाउनलोड किये जाने हैं । इन प्रपत्रों के डाउनलोड करने की प्रकिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है ।

फार्म ई–वे बिल 01, ई–वे बिल 02, ई–वे बिल 03 डाउनलोड करने से पूर्व उक्त विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा जिसकी प्रकिया निम्नवत् होगी ।

<u>पंजीकृत व्यापारियों के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रकिया–</u>

यदि व्यापारी वैट व्यवस्था में रजिस्टर्ड थे तथा जी0एस0टी0एन0 द्वारा प्राप्त प्रोविजनल आई0डी0 के माध्यम से GSTN Portal पर सफलतापूर्वक माइग्रेट कर लिया गया है अथवा अथवा उनके द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत नया रजिस्ट्रेशन लिया गया है तो उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिये " Registration for Registered Dealer के लिंक पर क्लिक करना होगा । तदोपरान्त व्यापारियों को ऑनलाइन फार्म उपलब्ध होगा जिसमें व्यापारी द्वारा जी0एस0टी0एन0 अंकित करने पर सम्बंधित जोन, सम्भाग, लोकेशन सेक्टर, फर्म का नाम, पंजीयन तिथि तथा व्यापार स्थल का पता स्वतः अंकित हो जायेगा । इसके पश्चात समस्त Entry fields को व्यापारी द्वारा स्वतः अंकित करते हुए सम्बंधित ई–वे बिल के प्रकार को चयनित किया जायेगा । जिन व्यापारियों की प्रोविजनल आई0डी0 अभी प्राप्त नहीं हुयी है उनके द्वारा यह प्रकिया टिन अंकित करके पूरी की जा सकेगी । इसके पश्चात उक्त डाटा को Submit करने पर आवेदन सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी की लॉगिन पर उपलब्ध हो जायेगा ।

सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ई–वे बिल 01 के ऑनलाइन एप्रूवल से सम्बंधित Link " Sector Administrator" पर क्लिक किया जायेगा । तत्पश्चात पूर्व से उपलब्ध पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करके आवेदन पर ऑनलाइन निर्णय किया जायेगा । ऑनलाइन आवेदन पर निर्णय का कार्य आवेदन प्राप्ति के एक कार्य दिवस के अन्दर किया जायेगा । अधिकारी द्वारा आवेदन को स्वीकार किये जाने सम्बंधी कारण Remark की Field में अंकित किया जायेगा । ई–वे बिल 01 से सम्बंधित आवेदन को अनुमोदन अथवा अस्वीकार किये जाने की सूचना SMS तथा ई–मेल के माध्यम से व्यापारी के पंजीकृत ई–मेल तथा मोबाइल नम्बर पर सूचित की जायेगी । **ऐसे समस्त व्यापारी जिनके द्वारा पूर्व से विभागीय आँनलाइन सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। वे अपने पूर्ववर्ती यूजर आई0 डी0 तथा पासवर्ड के माध्यम से ई–वे बिल डाउनलोड कर सकते है।**

<u>अपंजीकृत व्यक्तियों के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रकिया</u>

अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिये "Registration for Not Registered Dealer के लिंक पर क्लिक करना होगा । तदोपरान्त उपलब्ध आवेदन पत्र में पैन तथा आधार नम्बर अंकित करना

तथा पैन व आधार नम्बर की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति अपलोड करना आवश्यक होगा तथा अपने खण्ड का चयन किया जायेगा। आवेदक के व्यापार हेतु माल लाये जाने की स्थिति में जहाँ उसके द्वारा व्यापार किया जाता है उस खण्ड का चयन किया जायेगा तथा स्वंय के उपयोग के लिए माल लाये जाने के स्थिति में अपने निवास स्थल के अधिक्षेत्र के खंड का चयन किया जायेगा। इसके पश्चात आवेदक द्वारा सम्बंधित मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आवेदक का नाम व पता अंकित किया जायेगा । अंकित मोबाइल नम्बर व ई–मेल पर प्राप्त OTP के द्वारा वेरीफिकेशन के उपरान्त वांछित फार्म का चयन करते हुए आवेदन को ऑनलाइन Submit किया जायेगा । ऑनलाइन आवेदन Submit करते ही सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी के लॉगिन पर उक्त आवेदन उपलब्ध हो जायेगा तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार ही पूर्ण की जायेगी । यदि किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा खण्ड कार्यालय का चयन गलत हो जाता है तो सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन को निरस्त करने पर अपंजीकृत व्यक्ति निरस्त किये गये संव्यवहार के सम्बंध में पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकता है ।

रजिस्ट्रेशन के उपरान्त वांछित फार्म निम्न प्रकिया के अनुसार डाउनलोड किया जायेगा––

ई–वे बिल 01 के डाउनलोड करने से सम्बंधी प्रकिया ई–वे बिल 01 प्रान्त बाहर से लाये जाने वाले माल के प्राप्त कर्ता द्वारा निम्न प्रक्रिया से डाउनलोड किया जायेगा ।

(i) पंजीकृत प्राप्तकर्ता द्वारा डाउनलोडिंग की प्रकिया

1. ई–वे बिल 01 डाउनलोड करने हेतु रजिस्ट्रेशन के उपरान्त प्राप्त कर्ता द्वारा वेबसाइट पर रजिस्टर किये गये ई–मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किये गये पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन किया जायेगा । इसके पश्चात व्यापारी द्वारा ई–वे बिल 01 नम्बर जनरेट करने हेतु उपलब्ध विवरण एन्ट्री स्क्रीन पर भरा जायेगा । व्यापारी द्वारा विक्रेता से सम्बंधित सूचना अंकित करने के पश्चात डाटा को सेव किया जा सकता है । सेव करने पर व्यापारी को टोकन नम्बर प्राप्त हो जायेगा । इस टोकन नम्बर को व्यापारी अपने विक्रेता या ट्रांसपोर्टर को भी दे सकते हैं तथा यदि वह चाहें तो स्वयं ही विक्रेता /ट्रांसपोर्टर से समस्त विवरण भर सकते हैं और यदि वह चाहें तो इस specific संव्यवहार के लिये जनरेट किये गये टोकन नम्बर को अपने विक्रेता व्यापारी या ट्रांसपोर्टर को फारवर्ड करते हुए उन्हें सम्बंधित विवरण भरने के लिये अनुरोध कर सकते हैं । यह सुनिश्चित करना माल के प्राप्त कर्ता का ही दायित्व होगा कि प्रश्नगत आयात से सम्बंधित समस्त विवरण सही–सही भरे जायें ।

2. ई–वे बिल 01 को जनरेट करने के लिये अपेक्षित विवरणों को अपलोड करने के बाद "save" बटन पर क्लिक करने के पश्चात "save finally" की सुविधा उपलब्ध है । ई–वे बिल 01 जनरेट करने में होने वाली संभावित त्रुटियों को समाप्त करने हेतु "save finally" के पूर्व "Print Preview" की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, तांकि उक्त परिप्रेक्ष्य में "save finally" के पूर्व में की गयी प्रविष्टियों को अवलोकित किया जा सके जिससे त्रुटि होने की संभावना न रहे ।

3. ई–वे बिल 01 जनरेट करने के पश्चात एक बार ऑन लाइन जनरेट ई–वे बिल 01 के प्रिन्ट की सुविधा उपलब्ध है । कतिपय कारणों से प्रिन्ट न निकाल पाने की स्थिति में यह व्यवस्था की गयी है कि ई–वे बिल नम्बर अंकित करते हुए ऑनलाइन जनरेटेड ई–वे बिल 01 रिप्रिन्ट किया जा सकेगा ।

4. ई–वे बिल 01 की व्यवस्था में ऑनलाइन जनरेटेड ई–वे बिल 01 पर क्रेता/विक्रेता के हस्ताक्षर की अपरिहार्यता नहीं होगी । साथ ही इस आशय का उल्लेख भी स्वतः ही जनरेट होगा कि " This E-way Bill No. is online

generated and as such does not require any signature of the Recipient/supplier"

5. ई–वे बिल 01 से सम्बंधित एस0एसम0एस0 या ई–वे बिल 01 की प्रिंटेड कापी , दोनों में से कोई भी प्रश्नगत माल के प्रदेश की सीमा में प्रवेश के समय से लेकर ऐसे माल के गन्तब्य पर पहुंचने तक साथ रखना अनिवार्य होगा । ई–वे बिल 01 नम्बर को प्रिंट करने की व्यवस्था कर दी गयी है । इसे आयातकर्ता व्यापारी द्वारा स्वयं अथवा यदि उसके द्वारा टोकन नम्बर संबंधित विक्रेता/ट्रांसपोर्टर को प्रेषित कर दिया गया है, तो ऐसे विक्रेता या ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रिंट किया जा सकता है ! आयातकर्ता व्यापारी द्वारा भी इसका स्वयं प्रिंट आउट लेकर अपने सम्बंधित ट्रांसपोर्टर को इसे प्रेषित किया जा सकता है ।

6. यदि किसी एक विक्रेता से किसी प्राप्त कर्ता द्वारा Bulk Purchase की जा रही है तब ऐसा प्राप्त कर्ता जैसा ही उस विक्रेता व्यापारी के नाम की प्रविष्टि सहित अपेक्षित ई–वे बिल 01 की संख्या का उल्लेख करेगा तो उसे उतने ही टोकन उस विक्रेता से की जाने वाली खरीद के लिये जनरेट हो जायेंगें और वह तदनुसार इनसे Bulk Purchase कर सकेगा । प्रत्येक डिमाण्ड पर अधिकतम 100 टोकन जनरेट किये जा सकेंगें जिसकी वैधता टोकन जनरेट करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिन तक होगी । जिस टोकन का 30 दिन की अवधि में उपयोग नहीं होगा, वह स्वयंमेव निष्प्रयोज्य हो जायेगा ।

ई–वे बिल 01 की उक्त व्यवस्था हेतु Bulk Purchase का अभिप्राय ऐसी खरीद से होगा जो एक बिल/इनवाइस से की गयी हो अथवा देश के बाहर से इम्पोर्ट की स्थिति में एक बिल ऑफ एन्ट्री से की गयी है तथा इससे आच्छादित माल को अग्रेत्तर अनेक वाहनों से गन्तब्य तक प्रेषित किया जाना हो ।

Bulk Purchase के सम्बंध मं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब खरीद देश के बाहर से बिल ऑफ एन्ट्री द्वारा अथवा बिल/इनवाइस से रेलवे द्वारा आयात करते हुए अग्रेत्तर विभिन्न वाहनों से गन्तब्य के लिये परिवहित की जानी हो, उस स्थिति में विभागीय वेबसाइट पर जाकर पहले प्रश्नगत बिल ऑफ एन्ट्री अथवा बिल/इनवाइस /आर0आर0 जैसी भी स्थिति हो, उसका उल्लेख सम्बंधित माल के कुल परिमाण सहित सम्बंधित व्यापारी को करना होगा । तत्पश्चात मल्टीपिल वाहनों के विकल्प में अपेक्षित वाहनों की संख्या का उल्लेख किया जायेगा । इसके पश्चात जिस वाहन से जिस भी परिमाण का माल परिवहित किया जाना है, उस परिमाण का उल्लेख किया जाएगा । इस प्रकार उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वाहन के लिये पृथक–पृथक ई–वे बिल नम्बर जनरेट हो जायेंगें जिससे ऐसे माल का परिवहन किया जायेगा ।

जहां पर प्रदेश के बाहर से एक ही वाहन में कई ई–वे बिल 01 नम्बर से संबंधित माल का परिवहन किया जाना है, ऐसे सभी संव्यवहारों के संबंध में "ई–वे बिल 01 नम्बर" जेनरेट करने की कार्यवाही दो भागों में की जाएगी। पहले भाग में प्रश्नगत आयात किए जाने वाले माल की खरीद के विवरण की आनलाइन एन्ट्री करनी होगी। ऐसे विवरणों की प्रविष्टि करते ही 14 डिजिट का एक **"अन्तरिम नम्बर"** जनरेट हो जाएगा। व्यापारी इस **"अन्तरिम नम्बर"** को संबंधित ट्रांसपोर्टर को भी दे सकता है। ऐसा ट्रांसपोर्टर जब ऐसे माल को संबंधित क्रेता को प्रेषण किए जाने के लिए वाहन में लोड करने की स्थिति में होता है, तब वह ऐसे माल के उपर्युक्त **"अन्तरिम नम्बर"** की एन्ट्री करते हुए इनके संबंध में केवल उस वाहन संख्या की ऑनलाइन जैसे ही प्रविष्टि करेगा तब ऐसे समस्त यूनीक नम्बरों के लिए ई–वे बिल 01 नम्बर स्वतः ही जेनरेट हो जायेंगे, जिनके साथ प्रश्नगत माल का आयात प्रदेश में किया जा सकेगा। **यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश में आयात के लिए इन ई–वे बिल 01 नम्बरों की अपरिहार्यता पूर्ववत होगी।**

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्तानुसार जेनरेट किये गये ई–वे बिल 01 नम्बर की वैधता की अवधि की गणना ई–वे बिल 01 नम्बर के जेनरेशन के दिनांक से आंकलित की जायेगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन आयातकर्ताओं को फुल ट्रक लोड कन्साइन्मेन्ट तथा आंशिक ट्रक लोड कन्साइन्मेन्ट के Option में जाकर जिस प्रकार का आयात करना है, उसका चयन करना होगा। फुल लोड ट्रक के संबंध में पूर्व प्रस्तरों में जो व्यवस्था अवधारित की गयी है, वह आंशिक ट्रक लोड कन्साइन्मेन्ट यथा–परचून से संबंधित माल तथा विभिन्न स्थलों से माल को संग्रहित करते हुए इसके आयात के संबंध में भी लागू होगी। फुल लोड ट्रक कन्साइन्मेन्ट के आयात के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में प्रचलित व्यवस्था तद्नुसार लागू रहेगी।

"ई–वे बिल 01 व्यवस्था" में वाहन पल्टी के संबंध में यह व्यवस्था की जाती है कि प्रिन्टेड ई–वे बिल 01 के आयात के संबंध में वाहन के परिवर्तित होने की दशा में जो वर्तमान प्रक्रिया प्रचलित है, उसी व्यवस्था से जेनरेटिड के संबंध में भी लागू किया जाता है। इसके लिए ई–वे बिल नम्बर जनरेट होने के उपरान्त ऐसे आन लाइन जेनरेटिड ई–वे बिल 01 पर की तरह आयातकर्ता द्वारा परिवर्तित वाहन से संबंधित प्रविष्टि की जायेंगी और माल के साथ रखे जाने वाले प्रपत्रों में मूल वाहन से आयात किये जाने से संबंधित जी0आर0 आदि के साथ–साथ पल्टी से संबंधित प्रपत्र भी रखते हुए अग्रेतर परिवहन किया जाएगा तथा यह युक्तिसंगत कारण भी इन प्रपत्रों में रखे जायेंगे जिनके फलस्वरूप वाहन पल्टी किया गया। जांच अधिकारी उपर्युक्त तथ्यों के संतोषजनक स्थिति में ऐसे आयात के संबंध में युक्तियुक्त निर्णय लेंगे।

प्रान्त बाहर से आयात किए जाने के संबंध में ऑनलाइन व्यवस्था में जेनरेट किए गए "ई–वे बिल 01 नम्बर" की वैधता की अवधि निम्न तालिका के अनुसार रहेगी।

(क) सड़क मार्ग से आयात किए जाने की स्थिति में:

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड ई–वे बिल 01 नम्बर की वैधता की अवधि
1	0–100 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से एक दिन (24 घंटे)
2	101–300 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 03 दिन
3	301–500 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 05 दिन
4	501–1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 10 दिन
5	1000 कि0मी0 से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 20 दिन

(ख) रेलवे के माध्यम से माल के आयात करने की स्थिति में:

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड ई–वे बिल 01 नम्बर की वैधता की अवधि
1	0–100 कि0मी0	माल के आयात हेतु जारी आर0आर0 (रेलवे रिसीट) की दिनांक से एक दिन (24 घंटे)
2	101–500 कि0मी0	माल के आयात हेतु जारी आर0आर0 (रेलवे रिसीट) की दिनांक से 03 दिन

3	501–1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु जारी आर0आर0 (रेलवे रिसीट) की दिनांक से 10 दिन
4	1000 कि0मी0 से अधिक	माल के आयात हेतु जारी आर0आर0 (रेलवे रिसीट) की दिनांक से 23 दिन

(ग) देश के किसी स्थान से वायुयान के माध्यम से माल का आयात किए जाने की स्थिति में:

देश के किसी स्थान से वायुयान के माध्यम से परिवहन हेतु बुक कराए जाने की दिनांक से "ई–वे बिल 01 नम्बर" की वैधता की अवधि अधिकतम **03 दिन** की रहेगी।

(घ) कोरियर के माध्यम से आयात किए जाने की स्थिति में:

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड ई–वे बिल 01 नम्बर की वैधता की अवधि
1	0–100 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से एक दिन (24 घंटे)
2	101–500 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से 03 दिन
3	501–1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से 05 दिन
4	1000 कि0मी0 से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से 07 दिन

(च) स्वयं अपने साथ माल का आयात किए जाने की स्थिति में:

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड ई–वे बिल 01 नम्बर की वैधता की अवधि
1	0–100 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से एक दिन (24 घंटे)
2	101–500 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 03 दिन
3	501–1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 05 दिन
4	1000 कि0मी0 से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 07 दिन

(ग) व्हीकल का स्वयं ही आयात किए जाने की स्थिति में:

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड ई–वे बिल 01 नम्बर की वैधता की अवधि
1	0–100 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से एक दिन (24 घंटे)
2	101–500 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 03 दिन
3	501–1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 05 दिन
4	1000 कि0मी0 से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी

		इन्वाइस/चालान की दिनांक से 07 दिन

यदि किसी अपरिहार्यता के परिणामस्वरूप किसी स्लैब की उपर्युक्तानुसार वर्णित समयावधि प्रदेश की सीमा में प्रवेश के पूर्व ही समाप्त हो जाती है अथवा प्रदेश की सीमा में पहुॅचने के बाद अवशेष अवधि इतनी नहीं रह जाती है कि प्रशनगत माल उस अवशेष अवधि में प्रदेश के गन्तव्य में पहुॅचना संभव न हो, तो इन परिस्थितियों में ऐसा परिवहनकर्ता सीमा के सन्निकट क्षेत्र के ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के समक्ष संबंधित कारणों के साक्ष्यों सहित समयावधि को बढ़ाए जाने हेतु प्रस्तुत करेगा, जिस सीमाक्षेत्र में एक से अधिक ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) तैनात हैं वहां यह प्रार्थना पत्र ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) संभाग–ए के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण के अनुवर्ती दिन तक प्रत्येक दशा में ऐसे प्रकरण में समयावधि बढ़ाने हेतु कारण सहित आदेश निर्गत किया जाएगा जिसकी प्रति आवेदनकर्ता/परिवहनकर्ता को प्राप्त कराई जाएगी। यदि कोई संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) उक्त परिप्रेक्ष्य में समयावधि बढ़ाए जाने के बिन्दु पर निर्णय लेते समय इस तथ्य का भी ध्यान रखेंगे कि प्रदेश की किसी भी सीमा से प्रदेश के किसी भी गन्तव्य तक पहुॅचने में सामान्यता अधिकतम 04 दिन का समय लगता है।

यदि माल के आयात के दौरान प्रदेश की सीमा में प्रवेश के उपरान्त वाहन खराब होता है तो ऐसी अपरिहार्यता की स्थिति में संबंधित परिवहनकर्ता द्वारा वाहन बदलने के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र निकटस्थ वाणिज्य कर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके द्वारा परिवहनकर्ता के प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त तथा यथाआवश्यक वाहन का भौतिक सत्यापन कराने के उपरान्त युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाएगा।

देश के बाहर से माल के आयात करने की दशा में बिल आफ इन्ट्री के स्थान पर Custom Clearance की तिथि से "ई–वे बिल व्यवस्था" में "ई–वे बिल 01 नम्बर" की वैधता की अवधि आंकलित की जाएगी।

वायुयान से आयात किए जाने की दशा में इंगित कठिनाई के दृष्टिगत यह निर्णय लिया जाता है कि एयरपोर्ट से निकासी की तिथि से ही ई–वे बिल 01 की वैधता की अवधि आंकलित की जाएगी। आयात कर्ता को उपर्युक्त निकारी की तिथियों के साक्ष्य माल के आयात के प्रपत्रों में रखना अनिवार्य होगा।

यदि आयतित माल के गन्तव्य एक से अधिक है तो प्रत्येक गन्तव्य के लिए पृथक–पृथक "ई–वे बिल 01 नम्बर" उक्त प्रकिया के अनुसार जेनरेट किया जाएगा।

प्रत्येक प्रान्त बाहर के विक्रेता के लिए प्रान्त के आयातक क्रेता द्वारा एक "ई–वे बिल 01 नम्बर" जेनरेट किया जाएगा अर्थात यदि प्रान्त बाहर के विक्रेता एक से अधिक हैं तो ऐसे सभी विक्रेताओं के लिए उतने ही पृथक–पृथक ई–वे बिल 01 नम्बर ऐसे आयातक क्रेता को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट करने होंगे।

यदि प्रान्त बाहर के एक ही विक्रेता के एक से अधिक बिल हैं, तो उनके लिए एक ही "ई–वे बिल 01 नम्बर" आवश्यक होगा तथा इनकी प्रविष्टियॉ बिल/कैशमीमो/इन्वाइस/चालान नम्बर व दिनांक के आगे की जायेंगी।

यदि एक से अधिक विक्रेता के बिलों के माल का आयात किया जा रहा है तो प्रत्येक विक्रेता के संबंध में पृथक–पृथक विशिष्ट संचरण नम्बर उक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट किया जाएगा।

<u>(ii) अपंजीकृत प्राप्त कर्ताओं द्वारा फार्म डाउनलोड करने की प्रकिया</u>

ऐसे अपंजीकृत व्यापारी जिनके द्वारा विभागीय पोर्टन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है । पंजीयन के पश्चात फार्म डाउनलोड करने के लिये विभागीय ई–वे बिल पेज पर उपलब्ध ई–वे बिल –(01, 02, 03) को चयनित कर Click to submit पर click किया जायेगा । इसके पश्चात ई–वे बिल 01 के लॉगिन पेज पर unregistered dealer के निर्गत उपलब्ध फार्म Entry Page पर क्लिक किया जायेगा । व्यापारी द्वारा अपना पैन अंकित करने पर आवेदक का नाम, मोबाइल नम्बर, ई–मेल, आधार पर आवेदक का पता स्वतः ही उपलब्ध हो जायेगा । व्यापारी को सम्बंधित सम्व्यवहार के उददेश्य (व्यक्तिगत उपभोग हेतु/व्यापार हेतु) चयनित किया जायेगा । इसके पश्चात आवेदक द्वारा परिवहन किये जाने वाले माल के विवरण, माल का वजन /परिमाप, मात्रा, माल का मूल्य, इनवाइस नम्बर, इनवाइस दिनांक, विक्रेता का नाम तथा पता, आवेदक के स्थल से सम्बंधित कर निर्धारण कार्यालय का चयन किया जायेगा । चयन के पश्चात save form के बटन पर क्लिक करके आवेदन को ऑनलाइन सब्मिट करने पर उक्त आवेदन सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध हो जायेगा ।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पंजीकृत व्यक्ति के ऑनलाइन आवेदन पर स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया जायेगा । ऑनलाइन फार्म के स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने की स्थिति में व्यापारी को पंजीकृत मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल पर SMS तथा ई–मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित हो जायेगी तथा अन्य समस्त प्राविधान पंजीकृत व्यापारी द्वारा डाउनलोड फार्म के समान ही लागू होंगें ।

ई–वे बिल 02 डाउन लोड करने की प्रकिया – ई–वे 02 प्रान्त से माल की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता द्वारा निम्न प्रक्रिया द्वारा डाउनलोड किया जायेगाः

1. माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा वेबसाइट पर रजिस्टर किये गये ई–मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किये गये पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन किया जायेगा। इसके पश्चात व्यापारी द्वारा ई–वे बिल 02 नम्बर जनरेट करने हेतु सम्बन्धित विवरण एन्ट्री स्क्रीन पर भरा जायेगा। व्यापारी द्वारा विक्रेता से सम्बंधित सूचना तथा सम्बन्धित माल के विवरण यथा– इनवाइस नम्बर, दिनॉक, माल का विवरण, वजन, परिमाप, मात्रा को अकित किया जायेगा। इसके पश्चात व्यापारी द्वारा सम्बन्धित वाहन संख्या को अंकित कर सेव करने पर यूनिक ई–वे बिल 02 नम्बर जनरेट हो जायेगा।

2. यदि किसी व्यापारी को मुख्य व्यापार स्थल के साथ अपनी शाखाओं से भी ई–वे बिल 02 जनरेट करना है तो व्यापारी को लागिन करने के पश्चात मेने मीनू में उपलब्ध Add Branches / Depot के लिंक के माध्यम से सन्दर्भित शाखाओं व डिपो को जोड़ सकते हैं । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात ऐसे व्यापारी लागिन स्क्रीन में सम्बन्धित शाखा का चयन करके शाखा हेतु उपलब्ध कराये गये यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड के माध्यम से लागिन किया जा सकेगा। यदि किसी ब्रांच यूजर में परिवर्तन होता है तो मुख्य व्यापार स्थल के यूजर के माध्यम से उक्त ब्रांच के यूजर को डिलीट किया जा सकता है ।

"ई–वे बिल 02 व्यवस्था" में वाहन पल्टी के संबंध में यह व्यवस्था की जाती है कि आन लाइन जेनरेटिड ई–वे बिल पर की तरह परिवहनकर्ता द्वारा परिवर्तित वाहन से संबंधित प्रविष्टि की जायेंगी और माल के साथ रखे जाने वाले प्रपत्रों में मूल वाहन से आयात किये जाने से संबंधित जी0आर0 आदि के साथ–साथ पल्टी से संबंधित प्रपत्र भी रखते हुए अग्रेतर परिवहन किया जाएगा तथा यह युक्तिसंगत कारण भी इन प्रपत्रों में रखे जायेंगे जिनके फलस्वरूप वाहन पल्टी किया गया। जांच अधिकारी उपर्युक्त तथ्यों के संतोषजनक स्थिति में ऐसे परिवहन के संबंध में युक्तियुक्त निर्णय लेंगे। ई–वे बिल 02 की वैद्यता जनरेशन के समय से 24 घण्टे की होगी तथा इस अवधि के दौरान ही प्रान्त की सीमाओं में माल का परिवहन किया जा सकेगा ।

ई–वे बिल 03 डाउन लोड करने की प्रक्रिया

आनलाइन शापिंग अथवा ई–कामर्स द्वारा क्रय या आर्डर कर व्यवसाय के अथवा व्यक्तिगत उपयोग के लिये स्वयं ई–कामर्स आपरेटर द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी ज्तंदेचवतजमत /कोरियर /परिदान अभिकर्ता / अभिकर्ता / मालवाहक के माध्यम से परिवहन करने पर ई–वे बिल 03 निम्न प्रक्रिया से डाउन लोड किया जायेगा ।

व्यापारी द्वारा वेबसाइट पर रजिस्टर किये गये ई–मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किये गये पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन किया जायेगा । माल के परिवहन से सम्बन्धित विवरण को अंकित करने के लिये परिवहन कर्ता अपने मैन्यू में Excel Sheet Download के विकल्प पर क्लिक करके आफ लाइन Excel Sheet का Download करेगा। Excel Sheet में अपना समस्त विवरण फीड कर परिवहन कर्ता द्वारा उक्त Excel Sheet को लागिन करके अपलोडिंग के विकल्प से अपलोड किया जायेगा। इसके पश्चात " Generate e-Way Bill 03" पर क्लिक करके ई–वे बिल 03 डाउनलोड किया जा सकेगा।

ट्रांजिट डिक्लरेशन फार्म (टी0डी0एफ0) डाउनलोड करने हेतु वाहन के पंजीकरण की प्रक्रिया

टी0डी0एफ0 डाउन लोड करने हेतु विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध टी0डी0एफ0 पंजीकरण के लिंक पर क्लिक करके New Registration के बटन पर क्लिक किया जायेगा। इसके पश्चात उपलब्ध स्क्रीन पर वाहन स्वामी, वाहन से सम्बन्धित विवरण अंकित करने के पश्चात वाहन की आर0सी0 तथा वाहन स्वामी के पैन कार्ड की छायाप्रति अपलोड की जायेगी। वाहन के पंजीकरण हेतु मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 आवश्यक है। आनलाइन आवेदन को सबमिट करने पर आवेदन सचल दल प्रभारी के लागिन पर उपलब्ध हो जायेगा। सचल दल प्रभारी द्वारा पूर्व से उपलब्ध यूजर आई0डी0 व पासवर्ड द्वारा लागिन किया जायेगा। सचल दल प्रभारी द्वारा अनुमोदन करने पर पंजीकृत ई–मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नम्बर पर पासवर्ड प्रेषित हो जायेगा। जिन ट्रान्सपोर्टर/वाहन स्वामी द्वारा वाहन का पूर्व में उत्क्त विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण कराया गया है उन्हे पुनः पंजीकरण कराना अपेक्षित नही है।

ट्रांजिट डिक्लरेशन फार्म (टी0डी0एफ0) डाउनलोड करने की प्रक्रिया

टी0डी0एफ0 डाउन लोड करने हेतु प्राप्त यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड के माध्यम से परिवहन कर्ता द्वारा लागिन किया जायेगा। लागिन करने के पश्चात परिवहन कर्ता द्वारा पूर्व से अंकित वाहन का विवरण स्वतः उपलब्ध हो जायेगा। इसके पश्चात व्यापारी द्वारा टी0डी0एफ0 जनरेट करने हेतु माल तथा बिक्रेता से सम्बन्धित विवरण यथा–इनवाइस नम्बर, दिनॉक, माल का विवरण, वजन, परिमाप, मात्रा एन्ट्री स्क्रीन पर भरा जायेगा। परिवहन कर्ता द्वारा माल का परिवहन आरम्भ होने तथा गन्तव्य स्थान, प्रदेश में वाहन के प्रवेश का स्थान, प्रदेश के भीतर रूट में पड़ने वाले 03 महत्वपूर्ण स्थानों तथा प्रदेश के बाहर निकलने वाले स्थान को अंकित किया जायेगा। प्रदेश में वाहन के प्रवेश के पूर्व परिवहन कर्ता द्वारा माल का वजन कराया जायेगा तथा इसका विवरण आनलाइन अंकित किया जायेगा। प्रदेश से बाहर निकलने से पूर्व निर्गमन स्थान पर भी वाहन का वजन कराने के पश्चात उसका विवरण टी0डी0एफ0–2 के रुप में अंकित किया जायेगा।

वाहन पल्टी के संबंध में यह व्यवस्था की जाती है कि वाहन के परिवर्तित होने की दशा में आन लाइन जेनरेटिड ई–वे बिल पर की तरह परिवहनकर्ता द्वारा परिवर्तित वाहन से संबंधित प्रविष्टि की जायेंगी और माल के साथ रखे जाने वाले प्रपत्रों में मूल वाहन से आयात किये जाने से संबंधित जी0आर0 आदि के साथ–साथ पल्टी से संबंधित

प्रपत्र भी रखते हुए अग्रेतर परिवहन किया जाएगा तथा यह युक्तिसंगत कारण भी इन प्रपत्रों में रखे जायेंगे जिनके फलस्वरूप वाहन पल्टी किया गया। जांच अधिकारी उपर्युक्त तथ्यों के संतोषजनक स्थिति में ऐसे परिवहन के संबंध में युक्तियुक्त निर्णय लेंगे। प्रदेश से बाहर निकलने से पूर्व निर्गमन स्थान पर भी वाहन का वजन कराने के पश्चात उसका विवरण टी0डी0एफ0–2 के रुप में अंकित किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था का सम्बंधित व्यापारियों तथा व्यापार संघों के मध्य समुचित प्रचार–प्रसार करते हुए कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।शासकीय विज्ञप्ति संख्या KA-NI-1014/XI-9(52)/17-U.P.GST Rules-2107-order(31)-2017दिनांक 21.07.2017 के प्राविधान दिनांक 26.07.2017 से प्रभावी होंगें।

22/07/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर राज्यकर / वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अपर मुख्यसचिव वाणिज्यकर एवं मनोरंजन कर को सूचनार्थ प्रेषित ।

2– समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर उ0 प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित की अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उक्त प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा व्यापारी एवं अधिवक्ता संघों के माध्यम से व्यवस्था समुचित प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें ।

कमिश्नर
राज्यकर / वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ